

15/1/24

पतावली पेटा दुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
प्रकरण मे अधि. प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर
कोई कार्यवाही नहीं चाहकर प्रकरण को NOT
press किया गया। प्रकरण मे अधि. प्रार्थी द्वारा कोई
कार्यवाही नहीं चाहने से कोई कार्यवाही शीक नहीं रहती है।
अतः प्रकरण को दखी स्तर पर ड्रॉप किया जाता



है। पत्ताबली किसल शुमार होर नम्बर से कम हो।
मिगल सुअपा गपा ।